>

Title: Need to permit Cooperative Banks to extend agriculture loan to farmers in Maharashtra.

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा) नियम 377 के अंतर्गत मैं रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा 35 ए के अंतर्गत जारी किये गए नोटिस की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके कारण नाबार्ड ने महाराष्ट्र राज्य के छह जिला सहकारी बैंकों को फसल ऋण उपलब्ध कराने, नये खाता खोलने, नया डिपोजिट इत्यादि कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध 16 मई को लगाया जबकि किसानों को खाद, बीज, सिंचाई कार्यों के लिए सहकारी बैंकों को 7 जून से पूर्व ऋण उपलब्ध कराने थे। 16 मई 2012 को प्रतिबंध लगाने से किसानों को फसल ऋण जो मिलता था वह नहीं मिल पाया एवं वित्त व्यवस्था को बनाये रखने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस फसल ऋण को सरकारी बैंक उपलब्ध करवाएंगे। परंतु आपको सूचित करना है कि गांवों में सरकारी बैंकों की पर्याप्त शाखा है, एवं न ही ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी बैंकों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है एवं ऐसे नियम बनाए गए जो गरीब किसान पूरा करने में असमर्थ है जिससे किसानों को इन सरकारी बैंकों से फसल ऋण उपलब्ध नहीं हो सका। महाराष्ट्र के किसानों ने अपने गहने बेचकर एवं अपनी सम्पत्ति बेचकर बुआई की, परंतु पर्याप्त वर्षा न होने से किसानों को दुबारा बुआई कार्य करना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के उपरोक्त नोटिस के कारण इन जिलों के किसान फसल ऋण की सुविधा से वंचित रहे एवं अब भी हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं काफी होती हैं। इस विदर्भ क्षेत्र के किसान फसल ऋण की सुविधा से बहुत वंचित हैं।

मेरा अनुरोध है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जो 35ए के अंतर्गत महाराष्ट्र के छह जिला सहकारी बैंकों को नोटिस जोरी किये हैं उनको रद्द किया जाए एवं तीन साल तक उनको मोहलत दी जाये जिससे महाराष्ट्र के किसानों को खेतीबाड़ी के वित्त की व्यवस्था हो सके।